सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

सांची-सलामतपुर, ज़िला रायसेन 464651

फोन: 07587579500

ई-मेल: registraroffice@sanchiuniv.edu.in बेबसाईट www.sanchiuniv.edu.in

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची ज़िला रायसेन हेतु मासिक / दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा

वित्तीय वर्ष **2025-26** में इमपैनलमेंटअनुबंध दिनांक से **03** वर्ष **(02** वर्ष का इमपैनलमेंट अनुबंध एवं **01** वर्ष अनुबंध वृद्धि**)** हेतु

(अ) सामान्य जानकारीः-

	निविदा प्रक्रिया का विवरण	तिथि	समय
	निविदा प्रकाशन	10-12-2025	—-----
	निविदा प्रपत्र अपलोड / डाउनलोड करने की तिथि	17-12-2025 से 06-01-2026 तक	शाम 05:00 बजे से
	प्री बिड मीटिंग	18-12-2025 & 02-01-2026	दोपहर 12:00 बजे से
	निविदा जमा करने की प्रारंभ तिथि	17-12-2025	शाम 05:00 बजे से
	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	06-01-2026 तक	शाम 04:00 बजे तक
	तकनीकी बिड खुलने की तिथि एवं समय	07-01-2026	शाम 04:00 बजे

(ब) प्रपत्र, निविदा, प्रतिभूति राशि एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि का विवरण :-

	प्रपत्र , ई.एम.डी.	विवरण	राशि	स्थिति
	निविदा प्रपत्र	किराये के टैक्सी वाहन हेतु	2,000/- (रू. दो हजार मात्र)	
	निविदा प्रतिभूति राशि	किराये के टैक्सी वाहन हेतु	रुपए 1,50,000/- मात्र प्रत्येक फर्म को निविदा भरने हेतु जमा करने होंगे।	प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यमों को निविदा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) के भुगतान से नियमानुसार छूट रहेगी।
	मात्र मासिक आधार पर लिए जाने वाले वाहनों के लिए निष्पादन प्रतिभूति राशि (सफल निविदाकार हेतु अनुबंध के समय)	किराये के टैक्सी वाहन हेतु	3,50,000/- (रू. तीन लाख पचास हजार मात्र)	यथावत

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

सांची-सलामतपुर, ज़िला रायसेन 464651

फोन: 07587579500

ई-मेल: registraroffice@sanchiuniv.edu.in बेबसाईट www.sanchiuniv.edu.in

क्रमांक / परि. /निविदा/2025-26/ 2067 भोपाल, दिनांक 17 /12/2025

ई-निविदा सूचना

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, रायसेन हेतु मासिक तथा दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु इमपैनलमेंट, अनुबंध दिनांक से 03 वर्ष (02 वर्ष का इमपैनलमेंट अनुबंध एवं 01 वर्ष अनुबंध वृद्धि) के लिये ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

* निविदा प्रपत्र राशि रू. **2000/-** (राशि रू. दो हजार मात्र) का ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक **17/12/2025** को **mptenders.gov.in** से शाम **05.00** बजे तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.sanchiuniv.edu.in** से प्रातः **11:00** बजे से दिनांक **06/01/2026** को शाम **04:00** बजे तक डाउनलोड किये जा सकते हैं।

* निविदायें दिनांक **06/01/2026** को शाम **04:00** तक ऑनलाईन मात्र और मात्र **mptenders.gov.in** वेबसाइट पर ही अपलोड की जा सकेंगी।

* निविदा हेतु निविदा प्रतिभूति राशि का भुगतान ऑनलाईन करते हुये उसकी पावती एवं सभी अनिवार्य संलग्न प्रपत्रों, तकनीकी बिड अन्तर्गत चाहे गये दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 06/01/2026 को शाम 04:00 बजे तक ऑनलाईन mptenders.gov.in पर ही अपलोड करना होंगे।

* ई-निविदा के माध्यम से प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनांक 07/01/2026 को शाम 04:00 बजे खोली जायेगी।

* यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने / खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी।

* कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अमान्य / निरस्त करने का अधिकार होगा।

* निविदाकार दरें बगैर **GST** के भरें।

*निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी https://mptenders.gov.in पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

कुलसचिव

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

ई-टेंडरिंग प्रणाली के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु दिशा निर्देश

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म्स / कम्पनियों / संस्थानों को सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीयन https://mptenders.gov.in के पोर्टल पर करना होगा जिसके आधार पर निविदाकार द्वारा सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की ई-निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ जा सकेगा। यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात निविदाकार म.प्र. शासन की किसी भी ई-निविदा प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।

2. निविदा प्रतिभूति राशि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन जमा करना होगी।

3. निविदाकार वेबसाईट https://mptenders.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करके रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं निविदा प्रतिभूति राशि जमा करके ई-निविदा में भाग ले सकेगा। निविदाकार स्वयं यह आश्वस्त कर ले कि वह ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।

4. ई- निविदा प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-निविदा प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नं0 0120-4001 002, 0120-4200 462, 0120-4001 005, 0120-6277787 (टोल फ्री) एवं 0755-2550909 पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं साथ ही ई-मेल आई.डी. support-eproc(at)nic(dot)in_ पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।

5. निविदाकार दरें बगैर **GST** के भरें।

निविदा की शर्तें

<u>भाग **1** कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण</u>

1. कार्यात्मक आवश्यकताएं **:-**

1. सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2025-26 में इमपैनलमेंट अनुबंध दिनांक से 03 वर्ष (02 वर्ष का अनुबंध एवं 01 वर्ष अनुबंध वृद्धि) के लिये मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के टैक्सी वाहन एवं आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों हेतु अतिरिक्त किराये के टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-टेंडरिंग प्रणाली से इमपैनलमेंट निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

2. अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढ़ोत्री की जा सकती है तदानुसार अनुबंधकर्ता को अनुबंध की शर्तों तथा दरों के अनुरूप ही वाहन उपलब्ध कराये जाने होंगे।

3. अनुबंध होने के उपरांत अनुबंधित संस्था/संस्थानों के द्वारा सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का कार्य, फर्म किसी अन्य फर्म को (Sublet) नहीं कर सकेगी।

4. वाहन की दर 1000/2000/3000 कि.मी. (ईधन एवं वाहन चालक सहित) मासिक रनिंग के आधार पर दी जावेगी। इसके अलावा पृथक से दैनिक किराया /मासिक किराया दर भी संलग्न प्रपत्र में दी जावे। निविदाकार दरें बगैर **GST** के भरें।

5. निविदा में ट्रेवल एजेंसी या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

2. तकनीकी आवश्यकताएं**:-**

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त निविदाकार (Bidders) के द्वारा को निम्नांकित शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य कर दिया जावेगा :-

1- आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति ।

2- निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।

3- Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ।

4- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में पंजीयन के प्रमाण-पत्र की प्रति **(**यदि उपलब्ध हो तो**)**।

5- ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की प्रति **(**यदि उपलब्ध हो तो**)**।

6- निविदाकार (Bidders) के पास 05 या उससे अधिक वाहनों का स्वामित्व तथा 10 या उससे अधिक वाहनों से अनुबंध होना चाहिए। <u>अनुबंधित वाहन प्रत्येक निविदाकार के पास पृथक-पृथक होना आवश्यक है। अनुबंधित वाहनों के दस्तावेजों में दोहराव पाया जाने पर निविदाकारों को निविदा प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा।</u> प्रत्येक वाहन का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

7- निविदाकर्ता संस्था का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर 30 लाख से अधिक होने का प्रमाणिकरण। (चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित विगत 03 वर्षों की बैलेंस शीट संलग्न करें)

8- शासकीय/अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक अथवा स्थापित निजी कॉर्पोरेट फर्म के साथ 03 वर्ष का टैक्सी सेवा कार्यानुभव प्रमाणपत्र (आपकी संस्था को दिये गये कार्यआदेशों की प्रतियां) संलग्न करें। (विगत 03 वर्ष- 2021-22, 2022-23, 20223-24)। निविदाकार संस्था द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सामाजिक, प्रादेशिक स्तर के सांस्कृतिक संगोष्ठियों/प्रशासकीय सेमिनार, सामाजिक/सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का अनुभव संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

9- वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods & Service Tax) के रूप में पंजीकरण की प्रति।

10- वैध बैंक खाते के ब्यौरे।

11- MSME एवं स्आर्टअप्स होने की स्थिति में वैद्य पंजीकरण अभिलेख। (निविदा जारी होने के पूर्व का प्रमाण पत्र)

<u>भाग **2** अन्य सामान्य शर्तें</u>

1. प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं स्टार्टअप्स को प्राथमिकता हेतु प्रावधान मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के बिन्दु क्र. 23 के समस्त बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

2. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन सफेद रंग के (White/off White) होना चाहिये।

3. किराये की अवधि में वाहन में ईधन प्रदाय, मेंटीनेंस तथा वाहन चालक के प्रतिमाह वेतन की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर ट्यूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।

4. किराये पर दिये जाने वाले वाहन में आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कल-पुर्जे (Spare Parts) यथा फेन बेल्ट, स्टेपनी-व्हील, बल्ब, फयूजेज, जैक, स्टैन्डर्ड टूल्स, फर्स्ट एंड बॉक्स आदि सदैव उपलब्ध रखना होगा। समस्त वाहनों पर फास्ट टैग होना अनिवार्य है।

5. वाहन स्वचालित (Selfstart) होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये के टायर ट्यूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू एवं शून्य त्रुटि का होना अनिवार्य है, इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। मासिक दर के आधार पर वाहन को एक दिवस के लिए सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जावेगी कि इसके स्थान पर अन्य वाहन, वाहन प्रदाता द्वारा सांची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जावेगा।

6. वाहन प्रदाता द्वारा वाहन चालक के माध्यम से वाहन का बीमा, PUC, RTO रजिस्ट्रेशन, समस्त करों की भुगतान रसीदें, व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति विश्वविद्यालय परिवहन शाखा में एवं एक प्रति हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन चालक को बदलने की स्थिति में सूचना मय आवश्यक कागजात के वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी एवं विश्वविद्यालय परिवहन शाखा को देना आवश्यक होगा।

7. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

8. विश्वविद्यालय द्वारा अनुबंध किसी भी समय एक माह का नोटिस प्रदाय करते हुये समाप्त किया जा सकता है।

9. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को यदि समान्यतः दो घण्टे से अधिक का विलंब होता है तो वाहन का उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। अधिकारी/यात्री को दूसरा वाहन उपलब्ध कराना तथा वाहन के खराब होने के स्थान से वाहन को गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

10. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार मासिक दर पर उपलब्ध कराया गया वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार मासिक दर पर उपलब्ध कराया गया वाहन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में प्रथम बार में राशि रू. 10,000/-, द्वितीय बार में राशि रू. 25,000/- एवं तीसरी बार भी यही स्थिति बनने पर उसके द्वारा जमा कराई गई निष्पादन प्रतिभूति राशि विश्वविद्यालय द्वारा जब्त की जा सकेगी और आने वाले 03 वर्ष के लिए वाहन की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

11. माईलोमीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित दूरी मान्य की जावेगी।

12. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा। मुख्यालय से बाहर उपयोग हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन हेतु 125 कि.मी. की न्यूनतम दूरी का भुगतान एवं किसी प्रकार का नाईट हॉल्ट चार्ज नहीं होगा।

13. प्रपत्र-ब में उल्लेखित 24X7 के मासिक रूप से वाहन उपलब्धता में वाहन प्रदायकर्ता को समस्त शासकीय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक वाहन चालकों को संलग्न करना होगा। वाहन चालक की कर्तव्य अनुपस्थिति पर वैकल्पिक चालक भेजना आवश्यक होगा। दोनों की अनुपस्थिति पर कुलसचिव, सांची विश्वविद्यालय द्वारा राशि रू. 1500/- प्रतिदिन के मान से कटोत्रा आगामी देयक में से किया जावेगा।

सफल अनुबंधकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के चालक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

1. यात्रा वाहन चालक अनुभवी एवं शारीरिक रूप से सक्षम (Fit) होना चाहिये। वाहन चालक की eyesight तथा reflexes उत्तम होना चाहिये।

2 वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध व्यवसायिक ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार नम्बर होना अनिवार्य है।

3. वाहन चालक को भोपाल, रायसेन, विदिशा शहर के मार्गों, स्थानों एवं विभिन्न शासकीय कार्यालयों की स्थिति का समुचित ज्ञान होना चाहिये। यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जायेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करे।

4. वाहन प्रदाता को हर समय वाहन चालक को कार्य करने के लिए तैयार रहने का आदेश देना आवश्यक है।

5. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा। यह कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नही होगा। वाहन चालक हेतु अन्य वैधानिक पंजीयन कराना वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।

6. वाहन चालक की ड्यूटी 12X7 के मासिक रूप में संबंधित अधिकारी के आधीन होगी। वाहन संबंधित अधिकारी के निवास पर रहेगा, वाहन रखने की जगह न होने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता/संस्था वाहन रखने की व्यवस्था स्वयं करेगी।

7. वाहन की समय-समय पर सर्विसिंग, रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्था एवं वाहन चालक की होगी।

8. वाहन चालक वाहन उपयोगकर्ता के प्रति विनम्र होगा एवं डयूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनेगा साथ ही पान, बीडी-सिगरेट, शराब एवं तम्बाकू का सेवन नहीं करेगा।

9. वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।

10. वाहन चालक को सड़क यातायात नियम / निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। सड़क यातायात नियमों को तोड़ने की स्थिति में होने वाले आर्थिक-दंड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का वाहन प्रदायकर्ता के द्वारा ही किया जाना होगा।

11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी या वाहन प्रभारी से प्रतिदिन माइलोमीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग-बुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग-बुक की प्रतिलिपि प्रतिमाह देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. वाहन चालक को नियमों-अधिनियमों के तहत पारिश्रमिक का भुगतान अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा प्रतिमाह समय से किया जावेगा।

13. विभाग की आवश्यकता अनुसार वाहन चालक को वाहन समयावधि से अधिक एवं जिले से बाहर भी चलाना पड़ सकता है। मांग किए जाने के एक घंटे के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना होगा।

14. वाहन चालक को शासकीय कार्यकलाप, कार्यप्रणाली का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए।

15. सफल निविदाकार/निविदाकारों के साथ किये जाने वाले अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिये न सिर्फ अनुबंधकर्ता बल्कि अनुबंधकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि (वाहन चालक सहित) भी जिम्मेदार होंगे।

16. अनुबंधकर्ता द्वारा वाहन चालक बार-बार परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

17. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता या वाहन चालक द्वारा दुर्घटना के संबंध में परिवहन शाखा, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को तत्काल अवगत कराया जावेगा। दुर्घटना की किसी भी प्रकार की जवाबदाही उपयोगकर्ता की नहीं होगी।

18. अनुबंधकर्ता अपनी जोखिम पर वाहनों का प्रचालन करेगा। वाहनों के प्रचालन करते हुये वाहन या व्यक्ति (Traveller) के साथ होने वाली घटना/दुघर्टना के लिये सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

19. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

20. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

21. सफल निविदाकर्ता L1 के द्वारा वित्तीय बिड में उल्लेखित वाहनों में से आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन की मांग मासिक या दैनिक आधार पर सांची विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थता जताए जाने पर उक्त वाहन को अन्य संस्थाओं से किराये पर लेने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

22. वाहन आवश्यकता / मांग के अनुसार बैठक / कार्यशाला / क्षेत्र-भ्रमण हेतु समय-समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यकता / मांग अनुसार मासिक किराये पर भी लिया जाएगा। वाहन आवश्यकतानुसार देश-प्रदेश में सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।

23. उन्हीं निविदाकारों की निविदायें मान्य की जायेंगी, जो सांची, विदिशा अथवा भोपाल में टैक्सी सेवा वाहनों के किराये का व्यवसाय करते हों एवं जिनका मुख्य कार्यालय भोपाल, विदिशा अथवा सांची में संचालित होगा। वाहनों को किराये पर मुख्यतः मासिक एवं दैनिक आधार पर लिया जायेगा।

23.1 विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार न्यूनतम 1000/2000/3000 कि.मी. प्रतिमाह मासिक आधार पर वाहन किराये की दरें एवं दैनिक आधार पर प्रति 120/250 कि.मी. के अनुसार विभिन्न सेगमेंटों में दरें आमंत्रित की जा रही हैं। उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी प्रपत्र ब-1 एवं ब-2 के रूप में संलग्न है। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक सैगमैंट की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे, अन्यथा आपकी निविदा पर विचार किया जाये अथवा नहीं यह अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। जो वाहन मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित होंगे, उन आवंटित वाहनों का उपयोग मुख्यालय से बाहर भी शासकीय कार्य हेतु किया जावेगा।

23.2 मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित वाहनों का मुख्यालय पर निर्धारित कि.मी. की सीमा के उपरांत भुगतान प्रति किलोमीटर दरों पर किया जावेगा जो कि मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। दैनिक आधार पर लिए जाने वाले वाहनों का बिल भी प्रत्येक माह प्रस्तुत किए जाएंगे।

24. मान्य दरें आगामी 02 वर्ष के लिए लागू रहेंगी। कार्य संतुष्टि के आधार पर अनुबंध की अवधि को स्वीकृत दरों पर कुलसचिव, सांची विश्वविद्यालय द्वारा निविदाकार से आपसी सहमति के आधार पर 01 वर्ष हेतु बढ़ायी जा सकेगी।

25. प्रत्येक सेगमेंट में किराये के वाहन हेतु सफल निविदकार्ताओं से अनुबंध किया जायेगा। सफल अनुबंधकर्ता **(L1)** की दर पर अन्य निविदाकारों की आपसी सहमति से **L1** दर पर अन्य निविदाकारों से भी अनुबंध संभव होगा। विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार एक ही समय में कई अनुबंधकर्ताओं की सेवाओं का भी उपयोग **L1** की शर्तों **/** दरों पर कर सकेगा।

26. किराए पर उपलब्ध किराए पर लिए जाने वाले समस्त वाहनों में फास्ट-टैग होना अनिवार्य है। शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय वाहन के टोल टैक्स पर लगने वाले समस्त शुल्क निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा तथा रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

27. सफल अनुबंधकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन के वाहन चालक को प्रतिमाह महीने की 10 तारीख तक श्रमायुक्त द्वारा समय-समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी दर का नियमानुसार अनिवार्यतः भुगतान किया जाना होगा।

28. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. (Tax Deduction at Source) की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

29. वाहन 24 घंटे विभाग के अधीन रहेगा।

30. निविदाकार (Bidders) के पास 05 या उससे अधिक वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए तथा न्यूनतम 10 वाहन उसकी संस्थान से अनुबंधित होने चाहिए। समस्त वाहनों का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

31. पृथक-पृथक मॉडल(सेगमेंट) के वाहन हेतु पृथक पृथक दर निविदा में निर्धारित प्रपत्र में दी जावे। प्रत्येक सेगमेंट हेतु निविदा दर भरा जाना आवश्यक है।

32. Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

33. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति संलग्न करें।

भाग **3:-** वित्तीय विनिर्देश

3. निविदा प्रक्रिया**-**

निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा फार्म, शर्ते एवं प्रपत्र की प्रति को मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://mptenders.gov.in एवं विश्वविद्यलय की विभागीय वेब साईट www.sanchiuniv.edu.in से दिनांक 17-12-2025 से दिनांक 06-01-2026 समय शाम 04:00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज शुल्क रु. 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) ई-भुगतान के रूप में मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in पर ही जमा करना आवश्यक है।

3.1 निविदा दस्तावेज

निविदाकार को निविदा से संबधित अभिलेखों को चेकलिस्ट अनुसार ऑनलाईन जमा करनी होगी।

तकनीकी बिड **:-**

1. प्रपत्र अ-1 सूचना पत्र

2. प्रपत्र अ-2 घोषणा पत्र

3. प्रपत्र अ-3 निविदा प्रतिभूति राशि

4. प्रपत्र अ-4 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र।

5. प्रपत्र अ-5, अ-6, अ-7 निविदाकार द्वारा तकनीकी आवश्यकता (कंडिका 02 अनुसार) हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी। (मूल/आवश्यक दस्तावेजों को स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।)

3.2 वित्तीय बिडः**-**

निविदा हेतु वित्तीय बिड (Price Bid)

प्रपत्र-ब में निम्नानुसार अभिलेख / प्रपत्र रहेंगें :-

1. प्रपत्र-ब-1 अन्तर्गत मासिक आधार पर दरें mptenders.gov.in की वेबसाइट पर भरी जानी होंगी

2. प्रपत्र-ब-2 अन्तर्गत दैनिक आधार पर दरें mptenders.gov.in की वेबसाइट पर भरी जानी होंगी

निविदाकार को निविदा से संबधित प्रपत्रों को ऑनलाईन जमा करना होगा।

3.3 निविदा प्रक्रिया का निरसन

कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रों की राशि वापस नहीं की जायेगी।

3.4 निविदा प्रतिभूति राशि तथा निष्पादन प्रतिभूति राशि

a. निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) को दिनांक 06-01-2026 तक शाम 04:00 बजे तक सभी संलग्न प्रपत्रों की प्रतिलिपि के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
b. दैनिक आधार पर निविदा प्रतिभूति राशि नहीं रखी गई है। दैनिक आधार पर वाहन किराए पर लिए जाने वाले वाहनों को प्रति सेगमेंट प्रति वाहन पर रु**. 30,000/- (**रुपए तीस हज़ार मात्र) की निष्पादन प्रतिभूति (सिक्योरिटी राशि) अनुबंध के समय FDR/BG के माध्यम से कुलसचिव**,** सांची बौद्ध**-**भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम से जमा करनी होगी। एक ही फर्म के तीन या तीन से अधिक वाहन होने पर सफल निविदाकार को अनुबंध के समय अधिकतम रु. 1,00,000/- मात्र निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में देने होंगे)
c. मासिक आधार पर L1 होने पर अनुबंधित संस्था को राशि रुपए 3,50,000/-(राशि रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) FDR/BG के माध्यम से कुलसचिव**,** सांची बौद्ध**-**भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम से जमा करनी होगी।
d. यदि किसी एक ही फर्म की दरें दैनिक आधार पर एवं मासिक आधार दोनों पर L1 पायी जाती हैं तो अनुबंध के समय उस फर्म को मात्र राशि रुपए 3,50,000/-(राशि रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) FDR/BG के माध्यम से कुलसचिव**,** सांची बौद्ध**-**भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम से जमा करनी होगी।

नोट**-** दरें इमपैनलमेंट हेतु आमंत्रित की गई हैं। निविदाकार को प्रपत्र ब**-1** एवं प्रपत्र ब**-2** सहित समस्त प्रपत्र **1** से प्रपत्र **7** तक **mptenders.gov.in** की वेबसाइट पर प्रत्येक एंट्री भरना अनिवार्य है। प्रपत्र ब**-1** एवं प्रपत्र ब**-2** में एक भी एंट्री निरंक रखने पर विश्वविद्यालय निविदाकार को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का अधिकार रखता है।

3.5 ई**-**प्रोक्योरमेंट निविदाओं का मूल्यांकन**-**

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से प्राप्त निविदा की तकनीकी बिड प्रपत्र-अ-1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 में संलग्न दस्तावेजों का विश्वविद्यालय में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध निविदाकारों की प्राईस बिड (Price Bid) ऑनलाईन खोलने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः निविदाकार को चाहिये कि जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा में अपनी संस्था का E-mail पता आवश्यक रूप से अंकित करें ।

4. निविदाकारों की अर्हतायें

4.1 तकनीकी प्रस्ताव

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत निविदा में तकनीकी बिड के अन्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा -

(प्रपत्र-अ-5):-

1. निविदाकर्ता को परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व / भागीदारी / कम्पनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।

2. निविदाकार (Bidders) को Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाना होगी।

3. वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र।

4. निविदाकार (Bidders) के पास 05 या उससे अधिक वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए। वाहन का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इस हेतु 10 अनुबंधित वाहनों के पंजीयन की प्रति तथा अन्य वाहन मालिकों के साथ करार (Contract) की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

5. निविदाकर्ता संस्था का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर 30 लाख से अधिक होने का प्रमाणिकरण । (चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित)

6. निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,50,000/- (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज।

7. शासकीय संस्था के साथ 03 वर्ष का कार्यानुभव प्रमाणपत्र अथवा कार्यआदेशों की प्रतियां संलग्न करें। (विगत वर्ष 2021-2022, 2022-23 तथा 2023-24 का)

8. निविदाकार (Bidders) को आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।

9. निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु Goods & Service Tax (GST) हेतु पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।

10. निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।

4.2 वित्तीय प्रस्ताव

निविदाकर्ता द्वारा निविदा में घोषित राशि में निविदा कार्यों के सम्पादन करने वाले सभी कर्मचारियों के डयूटी रोस्टर, लेबर, पंजियन शुल्क, विभिन्न प्रकार के समस्त कर, ईधन इत्यादि सम्मिलित होंगे। इसका कोई भी भुगतान अलग से विश्वविद्यालय द्वारा देय नही होगा। मासिक एवं दैनिक आधार पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दरों में डीजल, वाहन चालक, संधारण टेक्स सम्मिलित होंगें। उक्त दरों पर **GST** अनुबंधकर्ता बिलों में प्रस्तुत करेंगे।

4.3 हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

निविदाकर्ता को निविदा की शर्तों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों को डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लगाना अनिवार्य होगा।

4.4 निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि अनुबंध की अवधि 02 वर्ष के लिए होगी। 02 वर्ष पश्चात् यदि सेवाऐं सफलतापूर्वक कार्य अनुरूप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि दोनो पक्षों की सहमति से आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम एक वर्ष के लिए समस्त पूर्व शर्तों पर अनुबंध बढ़ाया जा सकता हैं।

4.5 दरें - दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर होना चाहिये। दरें भारतीय रूपये में एक रूपये के गुणांक में होना चाहिये। (दरों की प्रविष्टि ऑनलाईन बिना **GST** के की जाये)

4.6 अपात्रताएं - निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार स्वतः अपात्र माना जायेगा।

4.7 शर्तों की ग्राह्यता की संतुष्टि जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगा उसके संबंध में यह भी माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ ली एवं समझ ली हैं। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार है तथा उन्हीं शर्तों के अंतर्गत उसने निविदा प्रस्तुत की हैं।

5. अनुबंध का निष्पादन

5.1 अनुबंध का नोटीफिकेशन

निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क के **(**रूपये **500/-)** गैर**-**न्यायिक स्टॉम्प पर अनुबंध निविदा स्वीकृति से **07** दिवस के अन्दर करना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

5.2 अनुबंध में हस्ताक्षर **–**

दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही अनुबंध पूर्ण माना जाएगा।

5.3 निविदा प्रतिभूति **/** निष्पादन प्रतिभूति राशिः**-**

1. निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) को दिनांक 06-01-2026 तक शाम 04:00 बजे तक सभी संलग्न प्रपत्रों की प्रतिलिपि के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।
2. दैनिक आधार पर निविदा प्रतिभूति राशि नहीं रखी गई है। दैनिक आधार पर वाहन किराए पर लिए जाने वाले वाहनों को प्रति सेगमेंट प्रति वाहन पर रु. 30,000/- (रुपए तीस हज़ार मात्र) की निष्पादन प्रतिभूति (सिक्योरिटी राशि) अनुबंध के समय FDR/BG के माध्यम से कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम से जमा करनी होगी। एक ही फर्म के तीन या तीन से अधिक वाहन होने पर सफल निविदाकार को अनुबंध के समय अधिकतम रु. 1,00,000/- मात्र निष्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में देने होंगे)
3. मासिक आधार पर L1 होने पर अनुबंधित संस्था को राशि रुपए 3,50,000/-(राशि रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) FDR/BG के माध्यम से कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम से जमा करनी होगी।
4. यदि किसी एक ही फर्म की दरें दैनिक आधार पर एवं मासिक आधार दोनों पर L1 पायी जाती हैं तो अनुबंध के समय उस फर्म को मात्र राशि रुपए 3,50,000/-(राशि रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) FDR/BG के माध्यम से कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के नाम से जमा करनी होगी।

नोट**-** निविदाकार को प्रपत्र ब**-1** एवं प्रपत्र ब**-2** mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही भरना अनिवार्य है। दोनों प्रपत्रों में एक भी एंट्री निरंक रखने पर विश्वविद्यालय निविदाकार को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का अधिकार रखता है।

3. निविदा स्वीकृति आदेश से 02 वर्ष के लिये यह व्यवस्था होगी, यदि संस्था / एजेंसी निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित करने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड़ देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि रुपये को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा ।

4. यदि सफल निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव को निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वापस ले लेता है अथवा अनुबंध का पालन करने से इंकार कर देता है अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जा सकता है।

5. यदि सफल निविदाकार सौंपे गये कार्य को करने में असफल रहता है या कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात अपनी ऑफर वापस ले लेता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जा सकता है।

6. असफल निविदाकारों की निविदा प्रतिभूति राशि को अन्य निविदा स्वीकार करने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा।

5.4 सेवाएं एवं वारंटी - कार्य स्थल पर निविदाकर्ता तथा उसके कर्मचारी शराब या अन्य मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरूद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने संबंधी पूर्ण अधिकार कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को होगा।

5.5 पेनाल्टी **-**

यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन के साथ उपस्थित नहीं होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस माह के देयक से रू. 1,500/-प्रति दिवस की दाण्डिक कटौती की जाएगी एवं कार्यालय में मासिक दर पर लगाए गए वाहन के निरीक्षण/आंकलन के दौरान वाहन ठीक हालत में न पाए जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि कटौत्रे के रूप में काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

5.6 अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन **-**

निविदाकर्ता के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लघंन करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाने एवं गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी, इसका पूर्ण अधिकार कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय को होगा।

5.7 अनुबंधित वाहनों की पार्किंग व्यवस्था

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय परिसर में सफल निविदाकर्ता के अनुबंधित वाहनों की अवकाश वाले दिवस एवं रात्रि में पार्किंग नहीं की जा सकेगी। डयूटी टाईम पूरा होने के पश्चात अनुबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के निवास पर रखे जायेंगे। निवास पर स्थान न होने की स्थिति में फर्म द्वारा स्वयं वाहन के रखने की व्यवस्था की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय परिसर में वाहन नहीं रखा जायेगा। अनुबंधित वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था निविदाकर्ता की होगी। उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर निविदाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

5.8 कार्यालय परिसर में अनुबंधित वाहन चालकों का अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।

5.9 सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय कार्यालय हेतु मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुबंध दिनांक से 02 वर्ष के लिए अनुबंध में जो दरें अनुमोदित होंगी, उन दरों पर अन्य अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से आपवादिक परिस्थिति में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु सफल निविदाकर्ता को लिखित में सहमति देनी होगी।

6. भुगतान

भुगतान अनुबंधकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह की 5 तारीख तक किराए पर लिए गए दैनिक एवं मासिक स्तर के वाहनों की संख्या के मान से वाहन उपयोगकर्ता के द्वारा देयक एवं लॉग-बुक प्रमाणित करा कर देयक प्रस्तुत किया जायेगा अथवा समस्त वाहनों का एक देयक (समस्त वाहन उपयोगकर्ता के प्रमाणिकरण एवं प्रमाणित लॉगबुक के साथ) प्रस्तुत करना होगा। परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक खाता (अकाउंट) में किया जायेगा।

7. विवाद का निराकरण

किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भूत होने पर प्रकरण रायसेन/भोपाल स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

8. प्रस्ताव में व्यवधान **:**

1. यदि अनुबंध अवधि में प्राकृतिक आपदा अथवा मानव आपदा से यथा आतंकवादी कार्यवाही से किसी कार्य का निष्पादन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से छूटता है या अधूरा रहता है तो किसी भी पक्ष को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा तथा कोई भी पक्ष एक दूसरे से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तथापि यदि इस कंडिका के अंतर्गत अनुबंध निरस्त किया जाता है तो उस समय तक के कार्य का निष्पादन मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर उतनी राशि का भुगतान स्वीकृत संस्था/फर्म को किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

2. कार्य की गुणवत्ता अनुबंध की शर्तों के अनुसार एवं कार्य की गरिमा के अनुरूप नहीं होने पर विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह उसी समय अनुबंध निरस्त कर दें एवं वास्तविक क्षति की सीमा तक अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

कुलसचिव

सांची बोद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र-अ-1

// सूचना पत्र//

प्रति,
कुलसचिव
सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
सांची, रायसेन (म.प्र.)

विषय-सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय हेतु मासिक / दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा के संबंध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मासिक एवं दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई हैं। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं :-- आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PAN Card) की वैध प्रति ।

2- निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।

3- Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति

4-निविदाकार (Bidders) के पास 05 या उससे अधिक वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए। साथ ही न्यूनतम 10 वाहन निविदाकार संस्थान के साथ अनुबंधित होना अनिवार्य है। वाहन का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

5- निविदाकर्ता संस्था का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर 30 लाख से अधिक होने का प्रमाणिकरण। विगत 03 वर्षो (2021-22, 2022-23 तथा 2023-24) की बैलेंस शीट (चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित)

6- शासकीय/अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक अथवा स्थापित निजी कॉर्पोरेट फर्म के साथ 03 वर्ष का टैक्सी सेवा कार्यानुभव प्रमाणपत्र (आपकी संस्था को दिये गये कार्यआदेशों की प्रतियां) संलग्न करें। (विगत 03 वर्ष- 2021-22, 2022-23, 20223-24)। निविदाकार संस्था द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सामाजिक, प्रादेशिक स्तर के सांस्कृतिक संगोष्ठियों/प्रशासकीय सेमिनार, सामाजिक/सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का अनुभव संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

7- वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods & Service Tax) के रूप में पंजीकरण की प्रति ।

8- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में पंजीयन के प्रमाण-पत्र की प्रति(यदि उपलब्ध हो तो)।

9- ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की प्रति(यदि उपलब्ध हो तो)।

10.- वैध बैंक खाते के ब्यौरे ।

11.- MSME एवं स्टार्टअप्स होने की स्थिति में वैद्य पंजीकरण अभिलेख। (निविदा जारी होने के पूर्व का प्रमाण पत्र)

दिनांक हस्ताक्षर :

स्थानः फर्म का नाम एवं पता.............

E-Mail –

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र **-** अ**-2**

// घोषणा पत्र **//**

1. मैं/हम नाम / फर्म का नाम ....भारत का/के नागरिक हूं/हैं। (आगामी बिन्दुओं में मैं / हम अद्योहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए प्रयुक्त होगा)।

2. मैं / हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/ हैं।

3. मुझे/हमें मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यों के लिए म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।

4. मै/हम किसी ऐसे ठेकेदार जो कि, म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो के ना तो अभिकर्ता हूँ हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूं/ करते हैं।

5. मेरे / हमारे द्वारा प्रदत्त वाहन एवं वाहन चालकों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी / हमारी स्वयं की होगी।

6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य किया जावे।

7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगें।

दिनांक :

नाम :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

पूरा पता :

फोन एवं मो. नं.

E-mail

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र अ-**3**

// निविदा प्रतिभूति राशि //

कार्य का नाम :- सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, सांची, रायसेन हेतु मासिक / दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

निविदा प्रतिभूति राशि- ऑनलाईन जमा निविदा प्रतिभूति राशि का विवरण।

क्र.	ऑनलाईन जमा दिनांक	ऑनलाईन जमा की रिसिप्ट क्रमांक	राशि	रिमार्क
1.				

कार्य का नाम : ....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक : ....

(निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील)

नाम :

पूरा पता :

फोन एवं मो. नं.

E-Mail –

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र अ-**4**

// निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र //

// सहमति पत्र //

मैं .... पुत्र .... वास्ते फर्म ....सांची विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल निविदा में भाग लेना चाहता हूं। मेरे https://mptenders.gov.in के माध्यम से जारी निविदा की शर्तों के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क्र. 1 से 8 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूं (निविदा की शर्तों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं डिजिटल हस्ताक्षर कर प्रस्तुत) एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो सांची विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

पता

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र अ-**5**

// निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी //

निविदाकार का नाम :-

क्र.	तकनीकी मापदंड	रिमार्क
1.	निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,50,000/- (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) को ऑनलाईन जमा किये जाने की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	
2.	नगर निगम द्वारा जारी स्थापना का वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र (गुमाश्ता लायसेंस) की प्रति।	
3.	निविदाकर्ता संस्था का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर 30 लाख से अधिक होने का प्रमाणिकरण। (चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित)	
4.	विगत 03 वर्षों (2021-22, 2022-23 तथा 2023-24) की बैलेंस शीट	
5.	वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods and Service Tax) हेतु पंजीयन की प्रति।	
6.	वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबंधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।	

7.	निविदाकार (Bidders) के पास न्यूनतम 05 या उससे अधिक वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए एवं न्यूनतम 10 वाहनों से अनुबंध होना अनिवार्य है। वाहन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।	
8.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक अथवा स्थापित निजी कॉर्पोरेट फर्म के साथ 03 वर्ष का टैक्सी सेवा कार्यानुभव प्रमाणपत्र (आपकी संस्था को दिये गये कार्यआदेशों की प्रतियां) संलग्न करें। (विगत 03 वर्ष- 2021-22, 2022-23, 20223-24)। निविदाकार संस्था द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठियों, सामाजिक, प्रादेशिक स्तर के सांस्कृतिक संगोष्ठियों/प्रशासकीय सेमिनार, सामाजिक/सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का अनुभव संलग्न किया जाना अनिवार्य है।	
9.	MSME एवं स्टार्टअप्स होने की स्थिति में वैद्य पंजीकरण अभिलेख। (निविदा जारी होने के पूर्व का प्रमाण पत्र)	

नोट- निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि अथवा नि पादन प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालयम.प्र. को होगा।

निविदाकार का नाम :
हस्ताक्षर ....
दिनांक........
Email-
फोन नं..
मोबाइल-

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र अ-**6**

वाहनों के स्वामित्व अथवा वैद्य अनुबंधित वाहनों की जानकारी

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मैन्यूफैक्चरिंग दिनांक	रजिस्ट्रेशन दिनांक	स्वंय का अथवा अनुबंध
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
स्वयं/अनुबंधित वाहनों का विवरण					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

(नोटः-निविदाकार के पास उपलब्ध वाहनों की जानकारी तथा अनुबंधित वाहनों (प्रत्येक हेतु)की जानकारी प्रपत्र में भरते हुए वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेज क्रमानुसार संलग्न करें।)

(संस्था के लेटर हेड पर)

प्रपत्र अ-7

// निविदाकार द्वारा सामान्य जानकारी हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी //

निविदाकार का नाम :-

क्र.	सामान्य जानकारी	रिमार्क
1.	Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
2.	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।	
3.	निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।	

नोट:- निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार कुलसचिव, सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय म.प्र. को होगा।

निविदाकार का नाम :
हस्ताक्षर
दिनांक
Email
फोन नं**........**
मोबाइल

चेकलिस्ट

निविदा से संबंधित दस्तावेज निम्न तालिका अनुसार ऑनलाईन जमा (पृष्ठ क्रमांक अंकित करते हुए अपलोड) करें।

क्र.	निविदा से संबंधित दस्तावेज़	पृष्ठ क्रमांक की जानकारी
1.	निविदा फार्म	
2.	ऑनलाईन पेमेन्ट रिसिप्ट	
3.	प्रपत्र अ-1 सूचना पत्र	
4.	प्रपत्र अ-2 घोषणा पत्र	
5.	प्रपत्र अ-3 निविदा प्रतिभूति राशि	
6.	प्रपत्र अ-4 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र।	
तकनीकी मापदण्ड **(प्रपत्र-अ-5)**		
7.	निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,50,000/- (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) को ऑनलाईन जमा किये जाने की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	
8.	नगर निगम द्वारा जारी स्थापना का वैद्य पंजीयन प्रमाण-पत्र (गुमाश्ता लायसेंस) की प्रति ।	
9.	निविदाकर्ता संस्था का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर 30 लाख से अधिक होने का प्रमाणिकरण। (चार्टड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित)	

10.	विगत 03 वर्षों (2021-22, 2022-23 तथा 2023-24) की बैलेंस शीट	
11.	वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods and Service Tax) हेतु पंजीयन की प्रति।	
12.	वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।	
13.	प्रपत्र अ-**6** निविदाकार (Bidders) के पास 05 या उससे अधिक वाहनों का स्वामित्व होना चाहिए। वाहन का पंजीयन दिनांक 01.01.2023 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।	
14.	प्रपत्र अ-**6** निविदाकार के पास न्यूनतम 10 वाहन मालिकों से अनुबंध होना चाहिए	
15.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक अथवा स्थापित निजी कॉर्पोरेट फर्म के साथ 03 वर्ष का टैक्सी सेवा कार्यानुभव प्रमाणपत्र (आपकी संस्था को दिये गये कार्यआदेशों की प्रतियां) संलग्न करें। (विगत 03 वर्ष- 2021-22, 2022-23, 20223-24)।	
16.	MSME एवं स्टार्टअप्स होने की स्थिति में वैद्य पंजीकरण अभिलेख। (निविदा जारी होने के पूर्व का प्रमाण पत्र)	
सामान्य जानकारी **(**प्रपत्र-अ**-**		
17.	Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
18.	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।	
19.	निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे	